

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण
हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़
गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक
30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मई 2021 — ज्येष्ठ 1, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 मई 2021

क्रमांक 5206/डी. 55/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-05-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 9 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020.

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|--|----|--|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | <p>(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा.</p> <p>(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.</p> <p>(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.</p> |
| नवीन धारा 70 का अन्तःस्थापन. | 2. | <p>छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 69 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-</p> <p>“70. स्थापित नवीन विश्वविद्यालय के लिए अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम. - इस अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के संशोधन के फलस्वरूप स्थापित नवीन विश्वविद्यालय के लिये वही अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम लागू माने जायेंगे, जो कि विद्यमान विश्वविद्यालय, जिससे नवीन विश्वविद्यालय निर्मित किया गया हो, के लिये लागू है.”</p> |
| द्वितीय अनुसूची के भाग- दो (पुनरीक्षित) का संशोधन. | 3. | <p>मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (2) की प्रविष्टियों में, शब्द “बस्तर विश्वविद्यालय” के स्थान पर, शब्द “शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर” प्रतिस्थापित किया जाये.</p> |

अटल नगर, दिनांक 22 मई 2021

क्रमांक 5206/डी. 55/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 22-05-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 9 of 2021)

THE CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020.

An Act further to amend the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973
(No. 22 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the
Republic of India, as follows :-

- | | | | |
|----|------|---|---|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020. | Short title, extent
and commencement. |
| | (2) | It shall extend to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | After Section 69 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be added, namely:- | Insertion of new
Section 70. |
| | “70. | Ordinance, Statute and Regulation for new established University.- The same Ordinance, Statute and Regulation for the newly established University, as a result of amendment of Part-II (Revised) of the Second Schedule of the Act, shall be deemed to be applicable for the existing University, from which the new University has been formed. | |
| 3. | | In entries of column (2) of serial number 1 of Part-II (Revised) of the Second Schedule of the Principal Act, for the words “Bastar Vishwavidyalaya”, the words “Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar” shall be substituted. | Amendment of Part-II (Revised) of the
Second Schedule. |

Dashboard

User Management

Form Management

Institution Management

Reports

Reports - Web DCF

Survey Guidelines

Progress Monitoring

Progress Monitoring - Web DCF

New User Registration

Institution Management - College

You are here : Home > Institutional Management > Edit College (for Survey Year : 2022-2023)

THAKUR BHAVSINGH ART AND SCIENCE COLLEGE NARHARPUR has been updated successfully

University State:

Select College Location:

CHHATTISGARH

☒ Same State ☐ Other States

University Name :

SHAHEED MAHENDRA KARIMA VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR

College Type:

Enter Aishe Code:

Affiliated College

Submit

Reset

43 items found, displaying 1 to 10.

[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5 [Next/Last]

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|